महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.07.2022

मीडिया सेल, महोबा

श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दृष्टिगत विभिन्न शिवालयों/मंदिरों में जलाभिषेक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था आदि का जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा जायजा लिया गया।

आज दिनांक 18.07.2022 को श्रावण मास का प्रथम सोमवार होने के अवसर पर कांवड यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीमें अपने-अपने थानाक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मन्दिरों प्रमुख मार्गों में सुरक्षा/शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत सतर्क रहीं गठित टीमों द्वारा शिवालयों/मन्दिरों में जलाभिषेक के दृष्टिगत भ्रमण/निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, टीमों द्वारा निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कावंड़ मार्गों को चेक किया गया तथा श्रावण मास का प्रथम सोमवार होने के कारण डियूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि सतर्कता के साथ ड्यूटी करें, निगरानी करे तथा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति/वाहन दिखने पर तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराये, साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं कांवड यात्रियों की हर सम्भव सहायता करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र निर्माण/बिक्री व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्त के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दृष्टिगत दिनांक 18.07.2022 को थाना अजनर थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों / संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान के के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम नगाराड़ांग मिडिल स्कूल के पास से अभियुक्त मइयादीन राजपूत पुत्र मोहन राजपूत उम्र करीब 42 बर्ष निवासी ग्राम नगाराड़ांग थाना अजनर जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 134/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1- उपनिरीक्षक दिनेश कुमार यादव थाना अजनर जिला महोबा।
2. का0 सूर्यान्श प्रताप सिंह बुन्देला थाना अजनर जिला महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त –

मइयादीन राजपूत पुत्र मोहन राजपूत उम्र करीब 42 बर्ष निवासी ग्राम नगाराड़ांग थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी – 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक/वाहन चेकिंग का विशेष अभियान -

श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा आज दिनांक 18.07.2022 को सोमवार का विशेष बैंक/वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत चेकिंग के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाए रखने,अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने आमजनमानस में विश्वास व सुरक्षा का वातावरण बनाने के उद्देश्य से थानाध्यक्षों/चौकी प्रभारियों द्वारा टीम के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल के साथ बार्डर से लगे बैरियर, अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाली बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठानों के आस–पास एवं बैंको के आस-पास संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गयी साथ ही सायरन, सीसीटीवी, इत्यादि को चेक कर ब्रांच मैनेजर व सुरक्षा में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

गठित पुलिस टीमों द्वारा निर्देशित किया गया कि बैंक में आने वाले ग्राहकों के वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े हो ताकि सड़क पर आने जाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा अभियान के क्रम में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान एक नफर वारण्टी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र केदारनाथ निवासी नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र करीब 62 बर्ष सम्बन्धित मु0सं0 697ए/03 धारा 467/468/420 भादवि माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत को नयापुरा नैकाना महोबा से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरणः-

अशोक कुमार पुत्र केदारनाथ निवासी नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र करीब 62 बर्ष सम्बन्धित वारण्ट मु0सं0 697ए/03 धारा 467/468/420 भादवि माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा
2. कां0 आकाश सिंह चौहान

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने चोरी के मुकदमें से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा अभियान के क्रम में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 विवेक कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2022 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. दिलीप पुत्र अतर सिंह उम्र 30 वर्ष 2. अनिल पुत्र पन्नू उम्र 32 वर्ष 3. धरम पुत्र बौरा उम्र 28 वर्ष को मय चोरी के माल पम्पिंग सेट के बिलवई तिराहा महोबा से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरणः-

1. दिलीप पुत्र अतर सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सरकण्डी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर **2.** अनिल पुत्र पन्नू उम्र 32 वर्ष **3.** धरम पुत्र बौरा उम्र 28 वर्ष निवासीगण मुहल्ला आलमपुरा थाना कोतवाली महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 288/2022 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विवेक कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

2. का0 अरविन्द कुमार पाल

3. कां0 महेशचन्द्र 4. कां0 आशीष पाल

@mahobapolice

SP Mahoba @mahobapolice

7839857330

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित -

आज दिनांक **18.07.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्र निर्माण/बिक्री व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 18.07.2022 को थाना श्रीनगर थानाध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/22 धारा 452/354ख आईपीसी व 8 पास्को एक्ट के वाँछित अभियुक्त दयाशंकर कुशवाहा पुत्र बाबूलाल कुशवाहा नि0 ग्राम मुरानी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ब्रह्मानन्द एकेडमी के पास बिलखी रोड के पाससे गिरफ्तार किया गया जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 116/22 धारा 3/25 A. ACT पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त को मां0 न्यायायल के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1.उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ राम
2.का0 वीरेन्द्र कुमार 3.का0 राहुल तिवारी

गिरफ्तार अभियुक्त –

दयाशंकर कुशवाहा पुत्र बाबूलाल कुशवाहा उम्र 27 वर्ष नि0 ग्राम मुरानी थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.07.2022

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एंव कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक **18.07.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रो में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **98** ई-चालान किये गये।

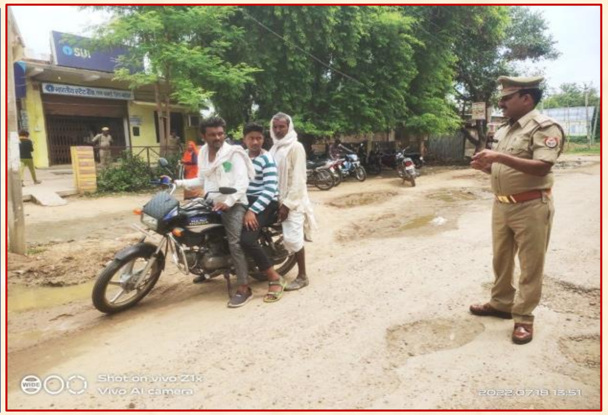

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में, व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण मे एंव क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के नेतृत्व में दिनांक 17.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मय हमराह अधिकारी /कर्मचारीगण के मु0अ0सं0 174/2022 धारा 452/376 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक पुत्र रुपा निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जिला महोबा जो वांछित/फरार चल रहा है तथा अपनी चल- अचल सम्पत्ति हटाने के प्रयास मे है जिस मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी निर्गत किया गया है, के अनुपालन में घर ग्राम ग्योड़ी पहुंचकर ग्राम वासियों लल्लू पुत्र स्व0 जगदीस सिंह, दीपू सिंह पुत्र राम सिंह, मुन्ना सिंह पुत्र करिया सिंह व सुशील कुमार पुत्र राम आसरे आदि व भागीरथ बसोर पुत्र रजवा (डुग्गी बजाने वाला) के समक्ष मा0 न्यायालय के आदेश धारा 82 सीआरपीसी से

अवगत कराया गया तथा गाँव मे डुग्गी बजवाकर अभियुक्त दीपक उपरोक्त के सम्बन्ध मे घूम – घूम कर एलाउन्स कराया गया एवं अभियुक्त दीपक उपरोक्त के घर के सामने सहज स्थान दरवाजे पर नोटिस को चस्पा कराकर उपरोक्त व्यक्तियों व पुलिस अधि0/कर्मचारियों को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये ।